

# न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई०ए०एस०द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या  
प्रविष्टि दिनांक

57 / 2019  
18-7-2019

रामजीलाल पुत्र सुवा जाति मीना निवासी ग्राम-कोटड़ी तहसील उनियारा जिला  
टोंक राज०

-अपीलान्ट

बनाम

नायब तहसीलदार सोप जिला- टोक

-रेस्पोजेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय  
नायब तहसीलदार सोप दिनांक 20-6-2019 मिसल नम्बर 59/2019

उपस्थिति : (1) श्री पुष्पेन्द्रसिंह अभिभाषक अपीलान्ट  
(2) श्री मजहर आलम, राजकीय अभिभाषक रेस्पोजेण्ट

निर्णय

दिनांक 25-11-2021

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप ने अपने निर्णय दिनांक 20-6-2019 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 234 रकबा 0.01 है०, किस्म बंजड़ व खसरा नम्बर 249 रकबा 0.01 है० गैर मुमकिन सड़क बाके ग्राम कोटड़ी तह० उनियारा में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर दुकानें बनाने का दोषी मानते हुए भूमि से बेदखल करने 2000/रूपये की पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार सोप के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोजेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट अनुपस्थित रहे उन्हें आदेश से पूर्व लिखित बहस प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत नहीं की गई। **राजकीय** अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित किया है कि नायब तहसीलदार सोप द्वारा निर्णय से पूर्व सुनवाई का अवसर नहीं दिया है और नोटिस पर अपीलान्ट की विधिवत् व्यक्तिशः तामिल नहीं कराई गई है। निर्णय एकतरफा में पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व हल्का पटवारी से जिरह करने का अवसर नहीं दिया और पटवारी हल्का द्वारा रजिशवश गलत रिपोर्ट की है, पटवारी हल्का ने रिपोर्ट किस दिनांक को की है, उसकी तारीख का अंकन रिपोर्ट में नहीं है तथा रिपोर्ट कब और किसके सामने तैयार की है इसका भी कहीं अंकन नहीं है, उसके उपरान्त



जिला कलेक्टर  
टोंक

उक्त आदेश पारित कर कानूनी भूल की है। अतः अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार शोप द्वारा पारित आदेश दिनांक 20-6-2019 निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करें।

अपीलान्ट के अभिभाषक द्वारा अपील में अंकित तथ्यों का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया है जिस पर अपीलान्ट की विधिवत रूप से तामिल हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्ट ने विवादित भूमि खसरा नम्बर 234 रकबा 0.01 है, किस्म बंजड़ व खसरा नम्बर 249 रकबा 0.01 है 0 गैर मुमकिन सड़क वाके ग्राम कोटड़ी तह0 उनियारा में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर दुकानें बनाई हैं। अपीलान्ट ने इससे पूर्व भी अतिक्रमण किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 638/11 दिनांक 1-2-2012 से बेदखल किया गया था। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है एवं बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलान्ट की विधिवत रूप से तामिल हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ अपीलान्ट ने विवादित भूमि खसरा नम्बर 234 रकबा 0.01 है, किस्म बंजड़ व खसरा नम्बर 249 रकबा 0.01 है 0 गैर मुमकिन सड़क वाके ग्राम कोटड़ी तह0 उनियारा में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर दुकानें बनाने का दोषी मानते हुए भूमि से बेदखल करने 2000/रूपये की पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट ने इससे पूर्व भी अतिक्रमण किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 638/11 दिनांक 1-2-2012 से बेदखल किया गया था। तहसीलदार उनियारा के निर्णय दिनांक 1-2-2012 में अंकित है कि अपीलान्ट द्वारा पूर्व में निर्माण कार्य करते समय कार्य बन्द करवाने गये कर्मचारी से नोटिस पर रसीद नहीं दी तथा दुकानों का अवैध निर्माण कार्य गिरोह बनाकर तथा हथियारों से लेस होकर किया है। नोटिस का जवाब पेश किया गया था जिसमें भूमि पर 15-20 साल से कब्जा होना बताया था किन्तु कब्जे के सम्बन्ध में कोई सबूत पेश नहीं किया था तथा पटवारी हल्का को फोन पर जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। पुलिस थाना शोप ने निर्माण कार्य बन्द करवाने व एफ0आई0आर0 दर्ज करने में सहयोग नहीं किया था विवादित भूमि सवाई माधोपुर-इन्द्रगढ़ मेघा हाईवे पर स्थित व बेश कीमती भूमि है। अपीलान्ट विवादित भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार शोप का निर्णय दिनांक 20-6-2019 यथावत रखा जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25-11-2021को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(चिन्मयी गोपाल)  
जिला कलेक्टर  
लोक